अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2016-17 में संचालित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 लेखा-पद्धति

2.1.1 लेखा-पद्धति में पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए और पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड़ की गई प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर

वर्ष 2015-16 के दौरान सभी जिला परिषदें (12) 78 में से 59 पंचायत समितियां और 3,243 में से 2,738 ग्राम पंचायतें पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में अपना खाता (प्रविष्टियां) बना रही है।

नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष 2015-16 हेतु नमूना-जांच की गई 102 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड़ किए गए आंकड़ों से भिन्न है। प्राप्ति के आंकड़ों में ₹ 21.63 करोड़ का तथा व्यय के आंकड़ों में ₹ 13.07 करोड़ का अंतर था **(परिशिष्ट-4)**।

प्राप्तियों के आंकड़ों का विचलन एक से 99 *प्रतिशत* के बीच तथा व्यय का एक से 98 *प्रतिशत* के बीच हुआ। प्राप्तियों के आंकड़ों का विचलन विशेष रूप से ग्राम पंचायतों हिमरी (99 *प्रतिशत*) धागोली (90 *प्रतिशत*) तथा चनोटा (85 *प्रतिशत*) में बढ़ा हुआ था और व्यय के आंकड़ों का विचलन विशेष रूप से ग्राम पंचायतों हिमरी (98 *प्रतिशत*) चनोटा (91 *प्रतिशत*) और धागोली (91 *प्रतिशत*) में बढ़ा हुआ रहा।

बड़े विचलन वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

2.1.2 पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट का कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका का रख-रखाव

(i) आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के हिसाब-किताब (लेखा) को रखने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श लेखांकन संरचना द्वारा विकसित किए गए पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट को अपनाया (मार्च 2011)। निदेशक, पंचायती राज विभाग ने भी निर्देश दिया (जनवरी 2012) कि सभी खण्ड विकास अधिकारी ग्राम-पंचायतों में पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली को लागू करें। ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर प्रशिक्षण भी दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई 15 ग्राम पंचायतों[2] में लेखाओं का अनुरक्षण पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली में करना मार्च 2016 तक प्रारंभ नहीं किया था। नमूना-जांच की गई 21 ग्राम पंचायतों[3] में पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में लेखाओं का अनुरक्षण शुरू तो कर दिया था परंतु यह पाया गया कि 2014-15 व 2015-16 के लिए रोकड़ बहियों का अनुरक्षण पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में नहीं किया गया। उत्तर में, सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2016 से फरवरी 2017) कि ग्राम पंचायतों में नेटवर्क संयोजकता में कमी तथा काम के भारी बोझ के कारण लेखाओं को पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में अनुरक्षित नहीं किया जा सका।

(ii) संयुक्त निदेशक-सह-उप सचिव, पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया था (जून 2015) कि राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण किया जाए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई सभी परिसम्पत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए।

---

2 मटेरनी; घराडा; यांगपा; थरोला; कोसरियां; सलबाड; सनवाल; रजेरा; पूलन; रचोली; बलेरा; पन्जई; संगडाह; कल्याड़ा तथा रिडकमार।

3 धगोली; टुटू मंजठाई; भोगपुर; कुलाहन; विक्रमवाग; रिट; मल्यवर; पट्टा; भुलस्वांए; घंडालवी; धरोग; भकेड़ा; संग्रह; हटपंग; चम्बोह; दाडो देवरिया; खाला क्यार; सराहन; शिवा; बलोठ तथा थल्ली।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 66 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-5)**में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परिसम्पत्ति कि जो जानकारी तैयार की गई थी उसे राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं किया गया था। उत्तर में, सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिव ने बताया (मई 2016 से फरवरी 2017) कि राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर प्रविष्टियां शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

2.1.3 पंजिकाओं का गैर-अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्त्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिकाओं, प्रपत्रों इत्यादि का, जैसा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 में ब्यौरा दिया गया है, अनुरक्षण करेंगी।

यह पाया गया था कि नमूना जांच की गई 140 पंचायती राज संस्थाओं में से 81 (नमूना-जांच की गई 128 का 63 *प्रतिशत*) ग्राम पंचायतों और एक जिला परिषद (जिला परिषद, कैलांग) में 2016-17 के दौरान महत्त्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थायी अग्रिम पंजिका, यात्रा अनुदान पंजिका, आकस्मिक व्यय पंजिका, सहायता अनुदान पंजिका, चैक निर्गत एवं प्राप्ति पंजिका इत्यादि अनुरक्षित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-6)**। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में इन अभिलेखों के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (जून 2016-मार्च 2017)।

2.1.4 स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखाओं का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्व-संसाधनों से आय (लेखा 'क') तथा अनुदान, विकास कार्यों अथवा विशेष उद्देश्यों हेतु आवंटित निधियों, ऋणों करों/शुल्कों/उपकरों के हिस्सों से आय और अन्य आय (लेखा 'ख') के पृथक लेखा का अनुरक्षण करेंगे।

यह पाया गया कि नमूना-जांच की गई 140 पंचायती राज संस्थाओं में से 33 ग्राम पंचायतों[4] और पंचायत समिति (पंचायत समिति कुनिहार) में लेखाओं का अनुरक्षण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया था और समस्त लेन-देन एक लेखा के माध्यम से किया गया था जोकि उपर्युक्त नियमावली का उल्लंघन था जिसके कारण स्व-संसाधनों तथा प्राप्त अनुदानों/ऋणों से आय के आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में निर्धारित प्रारूप में पृथक लेखाओं के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (जून 2016-नवम्बर 2017)।

2.1.5 बैंक पुनर्मिलान विवरणियां तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15 (10)(ख) प्रावधान करता है कि प्रत्येक मास रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेष का पुनर्मिलान किया जाए। किसी भी अंतर की रोकड़ बही में फुटनोट में कारणों सहित व्याख्या की जाएगी।

यह पाया गया कि 35 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 के अंत में रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के शेष के मध्य ₹ 22.66 करोड़ के अंतर (**परिशिष्ट-7)** का पुनर्मिलान नहीं किया गया था। ₹ 93.25 लाख तथा ₹ 1,835.21 लाख का महत्त्वपूर्ण अंतर क्रमश: पंचायत समिति (अम्ब) और जिला परिषद (कांगड़ा) में पाया गया। शेष के अंतर को देखते हुए इन पंचायती राज संस्थाओं के खातों की प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता साथ ही नकद लेन-देन के माध्यम से प्राप्त खर्च (व्यय) व धन के गलत तरीके से स्वीकार करने या गबन किए जाने का जोखिम था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (मार्च 2017) कि शीघ्र ही अंतरों का पुनर्मिलान किया जाएगा। बैंक पुनर्मिलान के अभाव में इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017)कि शीघ्र ही अंतरों का पुनर्मिलान किया जायेगा।

---

[4] मटेरनी, गियू, नेहरा, हिमरी, कोटी बोंच, द्राबिल, बहराल, नाया, आलमपुर, पपलाह, भुलस्वांए, घंड़ालवी, बैरीरजादियां, धरमण, खलवाहन, धगोली, संगडाह, सनवाल, स्पैडू, लांगणा, सिहूंणी, हार, नैन, गुसवाड, चुधरेड़, कथोग, रजेरा, पूलन, बलोठ, ठाकरी मट्टी, पंजाई, जराड़ भुटटी तथा प्रीणी।

2.1.6 भौतिक सत्यापन का संचालन न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान तथा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा छ: महीनों में न्यूनतम एक बार तथा निरपराद रूप से प्रत्येक वर्ष अप्रैल में समस्त भंडारगृहों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन का परिणाम लिखित में दर्ज किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन के दौरान स्टॉक पंजिका में प्रत्येक वस्तु के सामने उसकी स्थिति इंगित की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जिला परिषद, कांगड़ा व 60 ग्राम पंचायतों में भंडारगृह/भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-8)** नमूना-जांच की गई छ: जिला पंचायतों, छ: पंचायत समितियों और 128 ग्राम पंचायतों में से एक जिला पंचायत व 60 ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। उत्तर में, सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारी व सचिवों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि भंडारगृहों/भण्डार का भौतिक सत्यापन शीघ्र ही संचालित किया जाएगा।

2.1.7 वस्तुओं का गैर-लेखांकन

39 ग्राम पंचायतों द्वारा स्टॉक पंजिका में ₹ 1.40 करोड़ की वस्तुओं का लेखांकन नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 69 के अंतर्गत समस्त भंडार सुपुर्दगी के समय जांच, गणना, माप अथवा तौल जैसा भी मामला हो, हेतु अपेक्षित हैं और तुरंत स्टॉक पंजिका में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत भंडार गृहों के प्रभारी कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिन की प्रविष्टियों के अंत पर एक प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें वर्णित होगा कि भंडार उचित स्थिति में तथा विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। यदि भंडार अधिक पाए जाते हैं तो इसे अतिरिक्त प्राप्ति के रूप में इंगित किया जाना चाहिए और कमियां, यदि कोई हैं, लाल स्याही में इंगित की जानी चाहिए। आगे, उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 70 अनुबद्ध करता है कि भंडार गृहों की सामग्रियां उचित मांग पत्रों की प्रति जारी की जाएंगी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 39 ग्राम पंचायतों में 2010-2016 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए भण्डार गृहों की मदें जैसे स्टील, लकड़ी,फर्नीचर, हार्डवेयर इत्यादि स्टॉक पंजिकाओं में लेखांकित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-9)**। यह ग्राम पंचायतों के कमजोर अभिलेख अनुरक्षण पक्ष को इंगित करता है तथा इन भण्डारों के लेखांकन न होने की स्थिति में चोरी या हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रत्युत्तर में सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त 2016-मार्च 2017) कि स्टॉक पंजिकाओं में मदों की प्रविष्टियां कर दी जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा भण्डार गृह अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

2.2 राजस्व

2.2.1 गृहकर की अवसूली

2015-16 की अवधि में 78 ग्राम पंचायतों ने ₹ 22.80 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढ़ंग से, अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर या राशि को देय नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 78 ग्राम पंचायतों में 2015-16 की अवधि हेतु ₹ 22.80 लाख राशि के गृह कर की वसूली, मार्च 2017 तक नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-10)**। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 के अनुरूप गृहकर का भुगतान न करने के लिए चूककर्त्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2016-मार्च 2017) कि बकाया

गृहकर की वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। उत्तर, ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रभावी निगरानी के द्योतक हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का गैर-संग्रहण/हानि हो सकती है।

2.2.2 बकाया किराया

15 पंचायती राज संस्थाएं, दुकानों से देय ₹ 11.31 लाख राशि के किराए की वसूली करने में विफल रही।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानों का अनुरक्षण कर रही थी और ये मासिक किराया आधार पर किराये पर दी गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1989-90 से 2015-16 की अवधि के लिए 15 पंचायती राज संस्थाओं में 81 से ₹ 11.31 लाख राशि का किराया मार्च 2016 तक बकाया था **(परिशिष्ट-11)**। इससे इंगित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दुकान किराये के समयबद्ध संग्रहण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (जुलाई 2016-मार्च 2017) कि चूककर्त्ताओं का बकाया किराया जमा करवा लिया जाएगा।

2.2.3 मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन हेतु शुल्क वसूल न किया जाना

42 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 12.25 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 4,000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क का उद्ग्रहण करने तथा प्रति टॉवर ₹ 2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है (नवम्बर 2006)।

लेखापरीखा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 42 ग्राम पंचायतों में 2003-16 के दौरान 80 मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गए परंतु सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से मार्च 2016 तक ₹ 12.25 लाख राशि के प्रतिष्ठापन नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-12)**। इससे ग्राम पंचायतें उनके राजस्व के देय हिस्से से वांछित रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

2.2.4 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार किये बिना किया गया व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 38 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए (प्रपत्र-11) निर्धारित प्रारूप में अपने प्राप्ति एवं व्यय का एक वार्षिक बजट आकलन तैयार करेगी। बजट आकलन ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा विगत वर्ष के 15 अक्तूबर तक तैयार किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत को संवीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तथा यह बजट ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 ग्राम पंचायतों में से दो[5] में 2013-14 व 2015-16 के दौरान, बजट आकलन तैयार एवं पारित किए बिना ₹ 68.71 लाख का व्यय किया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (नवम्बर 2016-दिसम्बर 2016) कि भविष्य में नियमों का कठोरता से पालन किया जाएगा।

2.3 निधियों का अवरोधन

2.3.1 निर्माण कार्य आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ₹ 74.97 लाख की निधियां अव्ययित रही।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 28 ग्राम पंचायतों में **(परिशिष्ट-13)** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 91 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 74.97 लाख प्राप्त किए गए (2010-16)। तथापि, फरवरी 2017 तक इन निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अत: विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न

[5] पट्टा: ₹ 36.10 लाख तथा बकेड़ा: ₹ 32.61 लाख।

किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ और लाभार्थी भी आपेक्षित लाभों में वंचित रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने बताया (अगस्त 2016-फरवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में क्षेत्र के पदाधिकारियों की भागीदारी के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका और शीघ्र ही निकाय कार्य प्रारंभ कर दिए जाएगें। उप-निदेशक (पंचायती राज) ने बताया (सितम्बर 2018) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं को पूरा ना करने (जैसे जिसकी भूमि प्राप्त की है उसमें आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना) तथा क्षेत्रिय स्टॉफ के पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अनुबंध (व्यस्त) के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका या कार्य के शुरू होने में विलम्ब हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक से सात वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

2.3.2 निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण अप्रयुक्त निधियां

ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.44 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं।

नमूना जांच की गई 128 में से 33 ग्राम पंचायतों में 2011-16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 123 निर्माण कार्यों (तीन से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूर्णता हेतु बह्द) के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹ 3.38 करोड़ राशि के प्रति ₹ 1.94 करोड़ का व्यय हुआ था और ₹ 1.44 करोड़ (43 *प्रतिशत*) की शेष राशि फरवरी 2017 तक अप्रयुक्त थी **(परिशिष्ट-14)**। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने बताया (जुलाई 2016-फरवरी 2017) कि भूमि विवादों तथा मुकदमेबाजी के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। कुछ कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएगें। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृत होने के एक से छः साल बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है।

2.3.3 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने, अपूर्ण निर्माण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त न किए जाने के आधार पर 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹11.96 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए अनुदान राज्य के खाते में जमा करवाए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए थे और इसके प्रति अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) नमूना जांच की गई 140 में से 41 पंचायती राज संस्थाओं में 2011-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 16.77 करोड़ प्राप्त किए गये **(परिशिष्ट-15)**। इन पंचायती राज संस्थाओं में उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 14.54 करोड़ राशि की निधियों का उपयोग किया गया था और ₹ 2.23 करोड़ (13 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2016-दिसम्बर 2016) कि उपलब्ध निधियों का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

(ii) यह पाया गया कि दो जिला परिषदों[6] और चार पंचायत समितियों[7] में 2011-16 के दौरान, 367 विकास कार्यों हेतु 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.11 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिनका जनवरी 2017 तक निष्पादन नहीं हुआ था। जनवरी 2017 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध पड़ी थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों और सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-जनवरी 2017) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिताबद्ध औपचारिकताएं कार्यों के संस्वीकृत होने तथा निधियों के अवमुक्त होने के पूर्व ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

---

6 जिला पंचायत ऊना: ₹ 291.67 लाख तथा जिला पंचायत कुल्लू: ₹ 60.74 लाख।

7 पंचायत समिति कुल्लू: ₹ 42.97 लाख; पंचायत समिति अम्ब: ₹ 3.69 लाख; पंचायत समिति चम्बा: ₹ 5.12 लाख तथा पंचायत समिति परागपुर: ₹ 6.68 लाख।

(iii) यह पाया गया कि तीन पंचायती राज संस्थाओं[8] वर्ष 2009-16 के दौरान, 470 विकास कार्यों हेतु, 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.54 करोड़ प्राप्त हुए थे जो अपूर्ण पड़े रहे, तथा पंचायती राज संस्थाओं के पास व्यय की जानकारी अनुपलब्ध थी जबकि कार्यों की स्थिति पूर्णता के करीब बताई गई थी। दिसम्बर 2016 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध पड़ी थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016) कि लम्बित कार्यों को पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही निर्देश दिए जाएगें। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृत होने की तिथि से एक से सात वर्ष बीत जाने के उपरांत भी ये कार्य अपूर्ण है।

(iv) वर्ष 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत नमूना जांच की गई दो ग्राम पंचायतों[9] द्वारा प्राप्त ₹ 7.54 करोड़ में से ₹ 6.46 करोड़ प्राप्त किए थे जिन्हें आगे विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों को अवमुक्त किए गए तथा ₹ 1.08 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं में अप्रयुक्त व अवमुक्त रहित रहे। इन सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-जनवरी 2017) कि जिला परिषद सदस्यों से शैल्फ/आकलनों की गैर-प्राप्ति के कारण निधियां अवमुक्त नहीं की जा सकी थी और निधियां शीघ्र ही अवमुक्त की जाएगी।

2.3.4 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

58 पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने तथा अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.41 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए अनुदान के खाते में जमा करवाए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए थे और इसमें अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) 53 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-16**) में वर्ष 2015-16 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 3.92 करोड़ विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुए थे, जोकि मार्च 2017 तक निष्पादित नहीं हुए थे। फरवरी 2017 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर 2016-फरवरी 2017) कि ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा शैल्फ या आकलनों की गैर प्राप्ति, 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार न होने के कारण निर्माण कार्यों का निष्पादन न हो सका (ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया शैल्फ व्यय आकलन सहित कार्य का प्रस्ताव) 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार नहीं था और इसे पुन: बनाया तथा विचारर्थ प्रस्तुत किया गया। अत: ग्राम पंचायतों द्वारा आकलन तैयार करने के समय पर पूर्ण निष्ठा के अभाव के फलस्वरूप निधियां अवरूद्ध रही।

(ii) आगे पाया गया था कि पांच ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-16**) में वर्ष 2015-16 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 0.62 करोड़ प्राप्त किए गए थे। उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 0.13 करोड़ की राशि प्रयोग में ली गई तथा ₹ 0.49 करोड़ शैल्फ/आकलन की विलम्ब प्राप्ति के कारण निर्माण कार्यों को आरम्भ ना किए जाने से इन ग्राम पंचायतों में अप्रयुक्त रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-मार्च 2017) कि उपलब्ध राशि का शीघ्र ही उपयोग कर लिया जाएगा। यह उत्तर खराब योजना को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि में निधियां अप्रयुक्त रही।

---

[8] पंचायत समिति कुनिहार: ₹ 32.58 लाख; पंचायत समिति कुल्लू: ₹ 19.30 लाख तथा जिला पंचायत सोलन: ₹ 402.14 लाख।

[9] जिला पंचायत ऊना: ₹ 1.05 करोड़ तथा जिला पंचायत केलांग: ₹ 0.03 करोड़।

2.3.5 पर्सनल लेजर खाते में निधियों का अवरोधन

लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु चिह्नित ₹ 6.16 लाख की निधियां पर्सनल लेजर खातों में अप्रयुक्त रही।

पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं जलापूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों को जमा करवाने के लिए पर्सनल लेज़र खातों का अनुरक्षण कर रही थीं। संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक मास के भीतर आहरित की जानी थी और एक वर्ष के भीतर इनका उपयोग किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान तीन पंचायत समितियां[10] ने परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹ 6.16 लाख प्राप्त किए थे। तथापि, लघु सिंचाई तथा जलापूर्ति निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं हुआ था। पर्सनल लेजर खातों में निधियां अवरूद्ध रही और लाभार्थी परियोजनाओं के आपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

सम्बंधित पंचायत समितियों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016) कि शीघ्र ही अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु निधि का प्रयोग किया जाएगा। परियोजनाओं के गैर-निष्पादन के लिए दिया गया ठोस कारण अभिलेखों में नदारद था। हालांकि, उप-निदेशक (पंचायती राज) ने बताया (सितम्बर 2018) पर्सनल लेजर खातों में परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को जमा ना करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्सनल लेजर खातों में जमा निधियों को संस्वीकृत होने की तिथि के एक वर्ष के भीतर प्रयोग में ले लिए जाने की आवश्यकता थी।

2.3.6 निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ₹ 6.09 लाख की निधियां अप्रयुक्त रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-16 के दौरान तीसा खण्ड (चम्बा जिला) की ग्राम पंचायत सनवाल में, निर्मल भारत अभियान के तहत् ₹ 7.92 लाख की राशि प्राप्त की गई। वर्ष 2014-16 के दौरान मात्र ₹ 1.83 लाख का व्यय किया गया व फरवरी 2017 तक ₹ 6.09 लाख की शेष राशि अप्रयुक्त रही। ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण के शेष राशि को दो साल से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग में नहीं लिया परिणामत: लाभार्थी आपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (फरवरी 2017) कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्राप्त राशि, शीघ्र ही लाभार्थी को अवमुक्त कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों का समय पर उपयोग कर लिया जाना चाहिए।

2.3.7 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायत की असफलता के फलस्वरूप ₹ 0.20 लाख की निधियों का अवरोधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010-11 के दौरान मशोबरा खण्ड (शिमला जिला) के ग्राम पंचायत जलेल में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 0.20 लाख राशि प्राप्त की थी और हिमाचल प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक, शोघी में यह निधियां जमा की गई थी। मशोबरा खण्ड द्वारा लाभार्थियों की सूची सुनिश्चित ना करने के कारण, मार्च 2017 तक छ: वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी यह ग्राम पंचायत के बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी रही।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (फरवरी 2017) कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त राशि को शीघ्र ही लाभार्थी तक अवमुक्त कर दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान किए बिना निधियों का उपयोग कैसे किया जा सकेगा।

[10] कुनिहार: ₹ 1.20 लाख, परागपुर: ₹ 1.60 लाख तथा अम्ब: ₹ 3.36 लाख।

2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वेतन का संदेहास्पद/दो बार भुगतान

2.4.1 छः ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों हेतु उन्हीं एक जैसे श्रमिकों को भुगतान दर्शाया।

अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि नमूना जांच की गई छः ग्राम पंचायतों[11] में वर्ष 2010-15 के दौरान एक ही अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों तथा विभिन्न मस्टर रोलों पर एक जैसे मजदूरों की तैनाती दर्शाई, जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद तैनाती हुई व ₹ 0.31 लाख की मजदूरी का दो बार भुगतान हुआ। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जनवरी 2017 से मार्च 2017) कि मामले की जांच की जाएगी। सम्बंधित जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि दो बार भुगतान की गई मजदूरी की राशि की वसूली कर ली जाएगी। इस तारतम्य में, यह इंगित किया जा सकता है कि 2015-16 की वार्षिक तकनीकी निरिक्षण प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.4 में इसी अनियमिता को उजागर किया गया था। उसी अनियमितता का दोबारा उदाहरण प्रस्तुत होना दर्शाता है कि नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.4.2 दो ग्राम पंचायतों में मस्टर रोल पूर्ण किए बिना मजदूरों की मजदूरी पर व्यय किया गया

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 102 में प्रावधान है कि दैनिक मजदूरों के आधार पर कार्य के मामले में, कार्य का प्रभारी व्यक्ति मस्टर रोल का अनुरक्षण करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान दो ग्राम पंचायतों[12] में विभिन्न निर्माण कार्यों/मस्टर रोल हेतु नौ मजदूरों को तैनात किया गया तथा उनकी मजदूरी पर ₹ 0.31 लाख का व्यय हुआ। इस प्रावधान के विपरीत, मस्टर रोल अपूर्ण थे और मजदूरों की उपस्थिति चिह्नित नहीं थी। मजदूरों की उपस्थिति चिह्नित ना होने से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान प्रमाणिक माना नहीं जा सकता और हेराफेरी (गबन) से इंकार नहीं किया जा सकता। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-फरवरी 2017) कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.3 चार ग्राम पंचायतों में बिना दस्तावेजी प्रमाण के मजदूरों को भुगतान किया गया

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 50 में प्रावधान है कि, जहां आवश्यक हो, भुगतान करते समय, भुगतान लेने वाले व्यक्ति से मुहर लगी, अलग पावती की जाए तथा सम्बंधित बाउचर संलग्न किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया, कि चार ग्राम पंचायतों[13] में, वर्ष 2011-15 के दौरान मस्टर रोल पर मजदूरों से पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए बिना, 15 मजदूरों को ₹ 0.21 लाख राशि की मजदूरी का भुगतान किया गया। अतः ये ₹ 0.21 लाख का संदेहास्पद भुगतान था और गबन (हेराफेरी) से इंकार नहीं किया जा सकता। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-फरवरी 2017) कि उचित कार्यवाही की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब

21 ग्राम पंचायतों में एक से 178 दिनों की अवधि तक के लिए मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ राशि की मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब हुआ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 8.3.1 के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना था और किसी भी मामले में कार्य सम्पन्न होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों तक भुगतान किया जाना था। 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में 'मजदूरियों का भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार मजदूर क्षतिपूर्ति हेतु पात्र थे।

---

11 रप्पड़: ₹ 0.04 लाख; चढ़ियार: ₹ 0.02 लाख; घोडव: ₹ 0.15 लाख; कल्याड़ा:₹ 0.04 लाख: भत्तल्ला ₹ 0.05 लाख तथा भुनेड़ ₹ 0.01 लाख।

12 मतेहड़ ₹ 0.28 लाख तथा मावा कोला ₹ 0.03 लाख।

13 मतेहड़; ₹ 0.08 लाख; मावा कोला; ₹ 0.07 लाख; टिहरा बंगाणा; ₹ 0.04 लाख तथा कथोग ₹ 0.02 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 21 ग्राम पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ की मजदूरी का भुगतान, 15 दिनों की स्वीकार्य अवधि के बजाय एक से 178 दिनों के विलम्ब से किया **(परिशिष्ट-17)**। यद्यपि मजदूरों को विलम्बित भुगतान हेतु किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने विलम्बित भुगतानों के लिए मजदूरों को देय क्षतिपूर्ति के गैर-भुगतान हेतु कोई ठोस कारण नहीं दिए गए थे (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016)।

2.6 संदेहास्पद व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2002 के नियम 47 के अनुसार किसी भी उद्देश्य हेतु राशि के पुनः भुगतान सहित प्रत्येक भुगतान पहले पंचायत निधि में दर्ज किया जाए फिर बाउचर सेटिंग की सहायता में पूर्ण और स्पष्ट विवरणों से खातों में वर्गीकृत किया जाए।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बारटो, खण्ड सुन्दरनगर (मण्डी जिला) में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना और 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों हेतु ₹ 0.19 लाख का व्यय किया गया, जबकि लेखापरीक्ष हेतु बिल तथा बाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए। बाउचरों की अनुपलब्धता में व्यय प्रमाणित नहीं किए जा सकते और गबन (हेराफेरी) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (अक्तूबर 2016) कि बाउचरों को ढूंढा जाएगा और फाईल में रखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक भुगतान का बाउचर प्रस्तुत होना चाहिए।

2.7 अस्थायी अग्रिमों का गैर-समायोजन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2002 के नियम 30 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के किसी भी उद्देश्य हेतु ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी अथवा अधिकारी को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी अग्रिम पंजिका के फार्म-9 में अग्रिम का रिकार्ड सुरक्षित किया जाए (रखा जाए)।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम, 189(1) से (4) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को किसी वस्तु की खरीदी अथवा किसी सेवा की बहाली अथवा किसी अन्य विशेष खरीदी अथवा अन्य किसी निर्धारित कार्य हेतु आवश्यकतानुसार अग्रिम दिए जाने का (संस्वीकृत किए जाने का) अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहता है। नियम में आगे प्रावधान है कि शेष के साथ यदि समायोजन बिल हो तो अग्रिम के आहरण के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाए। इसका अग्रिम तब तक देय नहीं होगा जब तक की सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा पहला समायोजन खाता जमा नहीं किया जाता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 1986 व सितम्बर 2016 के मध्य प्रधान, ग्राम पंचायत धागोली (शिमला जिला के छौहारा खण्ड में) को ₹ 0.36 लाख का अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किए गए तथा वर्ष 2006-07 के दौरान ग्राम पंचायत जलेल (शिमला जिला के मशोबरा खण्ड में) भी निर्माण समिति को पानी की टंकी के निर्माण हेतु ₹ 0.14 लाख का अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किया गया ये अग्रिम एक से 31 वर्षों की अवधि तक समायोजन हेतु लम्बित रहे। ग्राम पंचायत धागोली द्वारा यह कार्य नहीं दर्शाया गया जिसके लिए प्रधान को यह राशि अग्रिम के रूप पर दी गई थी और बताया (सितम्बर 2016) कि प्रधान को नोटिस जारी किए गए हैं, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (भेजा गया)। ग्राम पंचायत जलेल के सचिव ने बताया (मार्च 2017) कि अग्रिमों का समायोजन जांचा जाएगा तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।